

## भाग — II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या FP/UP/Water/47013/2020

- |   |  |
|---|--|
| 7. परियोजना/स्कीम का स्थान  | — जनपद झांसी के उ0प्र0 जल निगम, झांसी द्वारा पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के अन्तर्गत झांसी से भगवन्तपुरा बाया मऊरानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 39 के किमी0 सं0 1 से 4 तक बांयी पटरी पर पेयजल पाइप लाइन बिछाने से 0.4 है0 संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु बिना पातन की अनुमति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश |
| (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र   | — झांसी  |
| (ii) जिला   | — झांसी वन प्रभाग, झांसी   |
| (iii) वन प्रभाग   | — 0.4 है0  |
| (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)   | — संरक्षित वनभूमि  |
| (v) वन की कानूनी स्थिति   | — 0.30   |
| (vi) हरियाली का घनत्व   | — शून्य  |
| (vii) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)।<br>रिलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ गर0एल0, एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिणाम और 0आर0एल0 मीटर भी संलग्न किए जाए | — भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।  |
| (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी  | — शून्य  |
| (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी   | — प्रस्तावित वन भूमि, वन्य जीव अभ्यारण जैव मण्डल बाघ रिंजव हाथी कारीडोर का भाग नहीं है   |
| (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिंजव, बाघ रिंजव, हाथी कारीडोर, आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)  | — नहीं है  |
| (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुलभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे ।  |  |

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरें के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हॉ/नहीं यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र, आस—पास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्डों का आकार
  - (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र, और आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
  - (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि
  - (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय
  - (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।
- नहीं है
- प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है
- नहीं है
- संलग्न है
- प्रतिपूरक वृक्षारोपण 0.80 है 0 दुगने अवनत वनभूमि पर किया जा रहा है भूखण्ड की सं0—1
- संलग्न है
- शीशम, नीम, सिरस, सागौन आदि प्रजातियाँ गडडा में रोपित की जायेगी
- 211160.00 रु0  
(दो लाख रुपये हजार एक सौ साठ रु0 मात्र)
- संलग्न है
- संलग्न है

12	विभाग / जिला प्रोफाईल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	— 5054 वर्ग किमी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	— 33422.920 है0
(iii)	मामलों की सं0 सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	— 13 (तेरह) क्षेत्रफल—188.23732 है0
(iv)	1980 से जिला / प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	— 98.099 है0
	(ख) बनेतर भूमि पर	—
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	— 94.03 है0
	(ख) बनेतर भूमि पर	— 734.209 है0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि - 11/09/2020.

स्थान - झाँसी

हस्ताक्षर

नाम : (वी0के0 मिश्र)

सरकारी मोहर: प्रभागीय वनाधिकारी

झाँसी वन प्रभाग, झाँसी